

मेवारास बनाम गुलापसिंह

किस्म मुकदमा डाय नं. 48/13 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
18/5/18	<p>आज यह पशुवली साफ लगेक आपसु आमियान माल आपके कार के मयवाजवा पर पेस इडी पधकार शादि साफ लगेक एव चर्च मजमे आम मेकी गयी। वापिगण आम यह डाय विद्यु गटेवापीगण इन लगेके साफ पेस बिना है बि विवादि 2 कारनि ख-न $\frac{3}{308}$ $\frac{4}{011}$ $\frac{7}{004}$ $\frac{9}{307}$ $\frac{161}{106}$ $\frac{163}{017}$ $\frac{164}{011}$ $\frac{165}{006}$ $\frac{1232/6}{011}$ $\frac{1240/162}{011}$ $\frac{रुबि$ गण डिस्वार स ख न $\frac{3267/160}{68-06}$ $\frac{रुबि गण$ डिस्वार के वापिगण आदिगिरी खरेफर काडरकार है एव कारिफ काडर है यह कारनि उन्हे अपने पूर्वणे से गण इडी है; उपरोक्त कारनि से गटेवापीगणे का कोई सम्बन्ध सेकार आज तक नद्य रहा है इससे सिस्टर फल पेस की है मोके पर आज तक जंगल नद्य रहा है। गटेवापीगण विवादि 2 कारनि पर पकर कल्ला फले पर आणक है कारनि मे गडे खोदका नडे कोन्सेग। कारि फादर कारना चाहे है एव शान्ति खे उपरोगे कवाद्य पेस करते है। डावा दापरी से 4 दिन पूर्व गटेवापीगण ने विवादि 2 कारनि मे बिना आदि कार पुडेपकर 208 से गडे खोदना शुरू कर दिया शेकार पर कड कि इनारे पास कपट से कारि है तब गुणिल से शेफर खेद करि दिकार चल गी तब वापिगण ने गटेवापीगण को खण्डे सिबेदवा से पाक्य करणके लिए</p>	

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
---------------	---------------------------------	--

एवं अख्तियार न्यायालय रिपोर्ट में न्यायालय के
कार्य अनुसार इन्होंने बताया है कि यह कार्य
न्यायालय में बका बिल है।

इसके सम्बन्ध में मोके पर प्रत्येक
ताम में न्यायालय एवं कार्य की तम
पत्राली का इस्तेमाल किया गया
पेनाल्टी करने पर सभी पर अट्टरने
क्या है दाव्य डिप्टी मियर जाग उचि
अनकरे है।

अतः कोर्ट है कि राव जाफ़रगण
इस कोर्ट के अन्तर्गत डिप्टी मियर जाग है
कि न्यायालय राजाखेड़ा के विचारित कराने

ख. न 3/308, 4/011, 7/004, 9/307, 161/106,
163/017, 164/011, 165/006, 1232/6/011, 1240/162/011

एवं ख. न 3267/160 शकव 68वी. 06/बिन्वा
राजखेड़ा डिप्टी मियर न्यायालय राजाखेड़ा
की मोके की पेनाल्टी करने तथा मुताबिक
पेनाल्टी राजाखेड़ा रिपोर्ट एवं न्यायालय
में तस्वीर की जने। परन्तु डिप्टी मियर
पत्राली केवल शुभाट डेफर बाद
तकमिल दाखिल करे है। इन्फुम सुनाय
गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)